बिहार सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 मार्च, 2013

अधिसूचना संख्या–1063 दिनांक–30/03/2013 केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त निर्दिष्ट करते हैं कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6 क की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विहित घोषणा–पत्र प्रपत्र 'एफ' निम्न प्रक्रिया तथा शर्तों एवं बंधेज के अधीन निर्गत की जायेगीः–

1. आवेदनकर्त्ता व्यवसायी हेतु प्रक्रिया–(i) मासिक आधार पर केन्द्रीय प्रपत्र 'एफ' में घोषणा–पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यवसायी वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट www.biharcommercialtax.gov.in पर अपने User I.D. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करेंगे।

(ii) इस अधिसूचना में केन्द्रीय प्रपत्र 'एफ' के निर्गमन हेतु व्यवसायी विभागीय वेब–साईट पर लॉग–इन करने के उपरांत "Login for Statutory Forms" आईकॉन पर क्लिक करेंगे।

(iii) उपरोक्त आईकॉन पर क्लिक करने के उपरांत व्यवसायी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन उन्हें आवंटित TIN से पुनः लॉग–इन करना होगा। पुनः लॉग–इन करने के पश्चात् व्यवसायी द्वारा आवेदित अवधि में किये गये अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण प्राप्ति से संबंधित चालान, इन्वाईस, तिथि, प्रेषिति– प्रेषक का नाम एवं पता, टिन, माल का मूल्य मात्रा आदि से संबंधित विवरण विनिर्दिष्ट प्रारूप में खुलने वाले एक्सल शीटों में अलग–अलग अपलोड करना होगा।

(iv) "Goods in Transit" शीट तभी अपलोड की जायेगी जब किसी खास माह हेतु निर्गत भंडार अंतरण चालान/इन्वाईस में संदर्भित माल की प्राप्ति उस माह में न होकर पश्चात्वर्ती माह में हुई हों।

(v) प्रपत्र निर्गमन हेतु वांछित सूचना को सफलतापूर्वक अपलोड किये जाने के पश्चात् आवेदनकर्त्ता को सिस्टम–जनित पावती रसीद मुद्रित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vi) आवेदन की तिथि के चौथे दिन व्यवसायी द्वारा सिस्टम में User I.D. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करने के पश्चात् पुनः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन आवंटित TIN से लॉग–इन किया जायेगा एवं इसके उपरांत "Download Approved Statutory Forms" आईकॉन पर क्लिक किया जाना होगा।

(vii) इसके पश्चात् "Approved Statutory Forms" स्क्रीन display होने पर व्यवसायी द्वारा आवेदन का माह एवं वर्ष सम्बन्धी सूचना प्रविष्ट करते हुए Submit किया जायेगा।

(viii) उक्त सूचना Submit करने के पश्चात् स्क्रीन के नीचे Save Button क्लिक करने पर PDF Format में निर्गमन योग्य प्रपत्र 'एफ' व्यवसायी द्वारा इच्छित फोल्डर अथवा डेस्कटॉप पर Save हो जायेगी।

(ix) इच्छित फोल्डर अथवा डेस्कटॉप को खोलने पर रक्षित प्रपत्र मुद्रण हेतु उपलब्ध होगा जिसे व्यवसायी द्वारा मुद्रित किया जा सकेगा।

2.0 **अंचल में पदस्थापित पदाधिकारियों हेतु प्रक्रिया**–(i) अभिलेख प्रभारी द्वारा विभागीय वेब–साईट पर अपने User I.D. तथा पासवर्ड से लॉग–इन करने पर "Statutory Forms" आईकॉन पर क्लिक किया जायेगा। स्क्रीन खुलने पर सिस्टम में तिथि की प्रविष्टि करते हुए "Search Pending Tasks for Approval of Form 'F' पर submit" Button को क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर स्क्रीन पर दिये गये आवेदनों के संदर्भ में सिस्टम–जनित Acknowledgement Number वार Pending Task की सूची उपलब्ध होगी।

(ii) संबंधित Acknowledgement Number को क्लिक करने पर व्यवसायियों द्वारा दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में एक अन्य स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन पर आवेदन से संबंधित निम्न चार प्रश्न अभिलेख प्रभारी को दिखेंगे तथा उनके द्वारा उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में निम्न आशय की सूचनाएँ "Yes" अथवा "No" के माध्यम से दी जानी होगीः–

(क) क्या व्यवसायी द्वारा अद्यतन सभी विवरणियां दाखिल कर दी गयी हैं ?

(ख) क्या व्यवसायी द्वारा दाखिल विवरणी के अनुसार अद्यतन स्वीकृत कर का भुगतान किया गया है ?

(ग) क्या वर्तमान आवेदन के पूर्व में भौतिक रूप में प्राप्त सभी प्रपत्र 'एफ' की संगत खपत विवरणी व्यवसायी द्वारा दाखिल कर दी गयी है ?

(घ) क्या आलोच्य माह के ठीक पूर्व के दो त्रैमासों के लिए दाखिल विवरणियों में प्रतिवेदित अंतर्राज्यीय शाखा अंतरण के माध्यम से प्राप्त माल के मूल्य पर संगणित कर की राशि का कम से कम 90 प्रतिशत तथा उक्त आलोच्य दो त्रैमासों के ब्लॉक के ठीक पूर्व वाले त्रैमास हेतु दाखिल विवरणी में प्रतिवेदित अंतर्राज्यीय शाखा अंतरण से प्राप्त माल के मूल्य पर संगणित संपूर्ण कर की राशि का भुगतान कर दिया गया है ?

(iii) इस टास्क को पूरा करने के लिए अभिलेख प्रभारी के पास अधिकतम **चार कार्य दिवस** का समय होगा।

(iv) उपर्युक्त कंडिका 2(ii) में उल्लिखित (क) से (घ) तक चारों प्रश्नों का उत्तर अभिलेख प्रभारी द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दिया जायेगा तथा स्क्रीन के अंत में "Submit" Button को क्लिक किया जायेगा।

(v) उपर्युक्त कंडिका 2(ii) (क) से (ग) में वर्णितं प्रक्रिया में वर्णित किसी भी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने एवं कंडिका 3(i) से (vi) में वर्णित कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होने डीलर के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(vi) कंडिका 2(ii) (घ) में वर्णित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने एवं कंडिका 3 (vii) में वर्णित शर्त पूरी नहीं होने पर डीलर के लॉगिन से प्रपत्र 'एफ' का इलेक्ट्रॉनिक रीति से निर्गमन नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में कंडिका 3 (viii) में उल्लिखित बिन्दुओं पर सम्यक विचारोंपरान्त अंचल प्रभारी/अभिलेख प्रभारी द्वारा अपने लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' के निर्गमन के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

(vii) कंडिका 2 (ii) (क) से (घ) में उल्लिखित सभी प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक होने एवं कंडिका 3 (i) से (vii) की सभी शर्ते पूरी होने पर अभिलेख प्रभारी द्वारा व्यवसायी के आवदेन को Approve कर दिया जायेगा।

(viii) Approve किये जाने के पश्चात् पदाधिकारी के स्क्रीन से उक्त Task समाप्त हो जायेगा एवं व्यवसायी हेतु मुद्रण के लिए प्रपत्र 'एफ' उपलब्ध होगा।

3.0 शर्त तथा बंधेज–प्रपत्र 'एफ' प्राप्त करने हेतु व्यवसायी द्वारा निम्न शर्तों को पूरा किया जाना बाध्यकारी होगा:–

(i) व्यवसायी द्वारा वर्ष 2012–13 एवं उसके बाद की अवधि के लिए वांछित सभी त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणियाँ (कर अकेंक्षण रिर्पोट–TARसहित) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एवं वर्ष 2012–13 से पूर्व की अवधियों की वांछित सभी त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरणियाँ (कर अकेंक्षण रिर्पोट–TARसहित) भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कर दी गई है।

(ii) व्यवसायी द्वारा वर्ष 2012–13 एवं उसके बाद की अवधि का स्वीकृत कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एवं वर्ष 2012–13 से पूर्व की अवधि का स्वीकृत कर का अद्यतन भुगतान कर दिया गया है।

(iii) पूर्व में भौतिक रूप में प्राप्त सभी प्रपत्र "एफ" की खपत विवरणियां विहित प्रपत्र में दाखिल कर दी गयी हैं।

(iv) 'सुविधा' के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से की गई अन्तर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति की राशि Return के Part-III के Serial No.11(iv) के सभी प्रासंगिक कॉलमों में कर दर वार अंकित कर दी गई है।

(v) आलोच्य अवधि के लिए दाखिल रिटर्न के पार्ट–III के क्रम सं० 11(iv) में प्रतिवेदित कर दर वार अंर्तराज्यीय स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति की कुल राशि उसी अवधि की कर दर वार अन्तर्राज्यीय स्टॉक

ट्रांसफर की Net SUVIDHA राशि (Applied SUVIDHA में निहित राशि– Cancelled SUVIDHA में निहित राशि) – Goods in transit in current Quarter + Goods in transit in the immediately preceding Quarter के बराबर अथवा उससे अधिक है।

(vi) आलोच्य अवधि के लिए अधियाचित प्रपत्र 'एफ' की राशि कंडिका 3(V) में वर्णित राशि से कम अथवा उसके बराबर है।

(vii) व्यवसायी द्वारा आलोच्य त्रैमास के पूर्व के दो त्रैमासों के लिए दाखिल की गई रिटर्न के पार्ट–III के क्रम सं० 11(iv) में वर्णित अन्तर्राज्यीय स्टॉक ट्रांसफर प्राप्ति की राशि के आलोक में संगणित कर की राशि का कम से कम 90% के बराबर कर का भुगतान कर दिया गया है तथा उपर वर्णित दो त्रैमासों के ठीक पूर्व वाले त्रैमास हेतु दाखिल विवरणी में प्रतिवेदित भंडारण अंतरण के द्वारा प्राप्ति की राशि पर संगणित कर राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

(viii) कंडिका 2 (ii) (घ) में वर्णित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने एवं कंडिका 3 (vii) में वर्णित शर्त पूरी नहीं होने पर डीलर के लॉगिन से प्रपत्र 'एफ' का इलेक्ट्रॉनिक रीति से निर्गमन नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में Outgoing SUVIDHA details, Sale ledger, व्यवसायी द्वारा समर्पित वैधानिक प्रपत्र एवं संगत साक्ष्यों की गहन जाँच के आलोक में प्रपत्र 'एफ' निर्गमन करने के बिंदु पर यथोचित निर्णय लेना होगा। साथ हीं, आयातित माल की प्रकृति (कच्चा माल, पूंजीगत् वस्तु आदि), व्यवसायी के व्यापार की प्रकृति (विनिर्मात्ता, व्यापारी, निर्यातक, संवेदक, सरकारी उपक्रम) इत्यादि विषयों पर भी गहनता से विचार करना वांछनीय होगा।

4.0 कार्य संवेदको को छोड़कर अन्य सभी डीलर जिनका TTO/GTO अनुपात 80–100 प्रतिशत के बीच है, के प्रपत्र एफ का ऑन–लाईन निर्गमन अभिलेख प्रभारी एवं ऐसे डीलर जिनका TTO/GTO अनुपात 80 प्रतिशत से कम है उन्हें सिर्फ अंचल प्रभारी के लॉग–इन से ही कंडिका 3 (viii) में वर्णित अनुदेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन करेंगे।

4.1 कार्य संवेदको को छोड़कर अन्य सभी डीलर जिनका TTO/GTO अनुपात 80 प्रतिशत से कम है उनके प्रपत्र 'एफ' के निर्गमन के मामलों पर सर्वप्रथम अभिलेख प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कंडिका 3(viii) में वर्णित मार्ग निर्देश के अनुसार सम्यक् विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा और यदि उनके द्वारा प्रपत्र 'एफ' के ऑन लाईन निर्गमन के लिए टास्क Approve किया जाता है तो यह टास्क पुनः अंचल प्रभारी के लॉग–इन में बनेगा और अंचल प्रभारी के द्वारा Approve किये जाने के उपरान्त ही उनके लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन होगा। ऐसे मामलों का निष्पादन अभिलेख प्रभारी द्वारा अधिकतम **चार कार्य दिवसों** में एवं अंचल प्रभारी के लॉग–इन में टास्क बनने पर उनके द्वारा अधिकतम **तीन कार्य दिवसों** में इसका निष्पादन किया जायेगा।

4.2 कार्य संवेदकों के मामलों में कंडिका **2 (ii)(घ)** में वर्णित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होने एवं कंडिका **3(vii)** में वर्णित शर्त्त पूरी नहीं होने पर डीलर के लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' का सिस्टम द्वारा ऑन लाईन निर्गमन नहीं हो सकेगा। ऐसे कार्य संवेदक, जिनका TTO/GTO अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक है उन्हें अभिलेख प्रभारी द्वारा एवं अन्य को अंचल प्रभारी के लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन होगा। चूंकि यह जानकारी सिस्टम में उपलब्ध नहीं है कि संबंधित डीलर कार्य संवेदक है अथवा नहीं। अतः ऐसे सभी डीलर जिनका TTO/GTO अनुपात 80 प्रतिशत से कम है, के बारे में अभिलेख प्रभारी के लिए सिस्टम द्वारा निम्न टास्क Create किये जायेंगे;–

(क) 'क्या संबंधित डीलर कार्य संवेदक है ?

यदि इस प्रश्न का उत्तर **"हाँ"** है तो अभिलेख प्रभारी, TTO/GTO अनुपात 60 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर सम्यक विचारोपरान्त कंडिका 3 (viii) में वर्णित अनुदेश के आलोक में अपने लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन कर सकेंगे।

4.3 TTO/GTO अनुपात 60 प्रतिशत से कम होने पर अंचल प्रभारी अपने लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन करेंगे। ऐसे कार्य संवेदको के प्रपत्र 'एफ' के निर्गमन के मामलों पर सर्वप्रथम अभिलेख प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कंडिका 3 (viii) में वर्णित अनुदेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा और यदि उनके द्वारा प्रपत्र 'एफ' के ऑन लाईन निर्गमन के लिए टास्क Approve किया जाता है तो यह टास्क पुनः अंचल प्रभारी के लॉग–इन में बनेगा और अंचल प्रभारी के द्वारा Approve किये जाने के उपरान्त ही उनके लॉग–इन से प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन होगा।

4.4 यदि कंडिका **4.2** (क) में वर्णित प्रश्न का उत्तर **"ना"** है तो कंडिका **4.1** में वर्णित अनुदेश लागू होंगे।

5.0 कंडिका **2 (ii) (क) से (ग)** से सम्बंधित उत्तर सकारात्मक होने पर वर्ष 2013–14 के द्वितीय त्रैमास एवं उसके बाद की अवधि के प्रपत्र 'एफ' के ऑन–लाईन निर्गमन के लिए अभिलेख प्रभारी के लिए सिस्ट्म द्वारा ये Task पुनः Create नही किए जायेंगे एवं केवल कंडिका **2 (ii) (घ)** में वर्णित एक मात्र Task Create होगा।

5.1 वर्ष 2013–14 के तृतीय त्रैमास उसके बाद प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन कंडिका 1 में निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न होने तथा कंडिका 3 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी होने पर वगैर मानवीय हस्तक्षेप के पूर्णतः ऑटोमेटेड प्रोसेस से होगा।

5.2 वित्तीय वर्ष 2013–14 से पूर्व की अवधि के प्रपत्र 'एफ' का निर्गमन ऑनलाईन ही किया जायेगा, लेकिन यह प्रक्रिया ऑटोमेटेड न होकर अभिलेख/अंचल प्रभारी के लॉग–इन से होगी। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2013–14 की पूर्व के अवधि के लिए भी आवेदन ऑन–लाईन दाखिल किया जायेगा।

6.0 यह अधिसूचना **18.04.2013** के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर/विविध–43/2011/– 1063 दिनांक– 30/3/2013

प्रतिलिपि–उप–सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुये विभाग को 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर/विविध–43/2011/– 1063 दिनांक– 30/3/2013

प्रतिलिपि–सभी वाणिज्य–कर अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/अपील/अंकेक्षण), सभी अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बिक्री–कर/विविध–43/2011/– 1063 दिनांक– 30/3/2013

प्रतिलिपि–सचिव, वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सचिव, बार एसोसिएशन, वाणिज्य–कर भवन, पटना/सचिव, वाणिज्य–कर संघ, वाणिज्य–कर भवन, मुजफ्फरपुर/बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द्र चौधरी मार्ग, पटना/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/सचिव, फूड ट्रेड यूनियन, पटना, एक्जीविशन रोड, पटना/महासचिव, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज शुजागंज, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर कुमार)
आयुक्त, वाणिज्य–कर
बिहार, पटना।